स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 268, दिनांक 06–09–2024

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित, 25000/–रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी सुनील कुमार यादव जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार।

दिनांकः 06–09–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0–277/2024 धारा– 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित, 25,000/– रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुनील कुमार यादव को जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>ः–

सुनील कुमार यादव पुत्र शिव कुमार यादव, निवासी पंचमहुआ डीह, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>ः–

फूलपुर मोरी चौराहे से करीब 200 मीटर आगे जेठवारा की तरफ रोड पर थाना क्षेत्र बाघराय, जनपद प्रतापगढ़। दिनांक : 06–09–2024, समय 12:45 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय गिरोहों द्वारा आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपनिरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह, मुख्य आरक्षीगण प्रभन्जन पाण्डेय, सुनील कुमार, प्रवीण जायसवाल व मुख्य आरक्षी चालक राम लखन पाल की टीम दिनांक 06–09–2024 को जनपद प्रतापगढ़ के थानाक्षेत्र बाघराय में आपराधिक अभिसूचना संकलन में भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ से गैंगेस्टर के अभियोग में वांछित रू0 25,000/–का पुरस्कार घोषित अपराधी सुनील कुमार यादव उपरोक्त फूलपुर मोरी चौराहे से करीब 200 मीटर आगे जेठवारा की तरफ रोड पर थाना क्षेत्र बाघराय जनपद प्रतापगढ के पास मौजूद है, जो कहीं बाहर भागने की फिराक में है। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुँचकर, मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त सुनील कुमार यादव उपरोक्त द्वारा पूँछताछ में बताया गया कि दिनांक 18.11.2022 को ग्राम सोती का पुरवा (पंचमहुआ) थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ के निवासी महेश पाल को उनके गॉव के ही रमेश पाल व पंकज मिश्रा आदि लोगों द्वारा पार्टी में ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गये और महेश पाल की हत्या कर दिया जिसमें यह भी शामिल था। उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक महेश पाल की पुत्री/वादिनी रंजना पाल द्वारा दिनांक 20.11.2022 को थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ पर मु0अ0सं0 302/2022 धारा 147/302/120बी/506 भादवि बनाम पंकज मिश्रा आदि पंजीकृत कराया गया था, जिसमें यह जेल भी गया था। गिरफ्तार

अभियुक्त सुनील कुमार यादव पूॅछने पर यह भी बताया कि इस गिरोह के सरगना पंकज मिश्रा पुत्र रामकृश्ण मिश्रा निवासी पंचमहुआ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ है जिनका एक सक्रिय गिरोह है, जिसका वही भी सदस्य है। उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 12.08.2024 को थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ पर मु0अ0सं0 277/24 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें इसके ऊपर 25,000 रू0 का पुरस्कार भी घोषित हुआ जिसकी जानकारी होने पर यह गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर–उधर लुक छिप कर रहने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त सुनील कुमार यादव उपरोक्त को थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 277/24 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त सुनील कुमार यादव उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	302/2022	147/302/120बी/506 भादवि	बाघराय	प्रतापगढ़
2	277/2024	2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट **(वांछित/पुरस्कार घोषित)**	बाघराय	प्रतापगढ़